



कुरआन दुनिया की एकमात्र धार्मिक किताब है, जो बताती है कि न्याय की शर्त पूरी न होने पर केवल एक पत्नी रखनी चाहिए।

“और तुम पत्नियों के बीच पूर्ण न्याय कदापि नहीं कर[83] सकते, चाहे तुम इसके कितने ही इच्छुक हो। अतः (अवांछित पत्नी से) पूरी तरह विमुख न हो जाओ कि उसे अधर में लटकी हुई छोड़ दो। और यदि तुम आपस में सामंजस्य बना लो और (अल्लाह से) डरते रहो, तो निःसंदेह अल्लाह क्षमा करने वाला, अत्यंत दयावान है।” [209] [सूरा अल-निसा : 129]

फिर भी शादी के लिए इस शर्त को शामिल करने के बाद औरत को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने पति की एकमात्र पत्नी बनी रहे। क्योंकि यह मूल शर्त है, जिसका पालन अनिवार्य है और उसे तोड़ना जायज़ नहीं है।

ଓଡ଼ିଆ ଚିତ୍ରଣ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ଚିତ୍ରଣ

ଓଡ଼ିଆ ଚିତ୍ରଣ: <http://www.omegaopen.com/od/od/od/86/>

ଓଡ଼ିଆ ଚିତ୍ରଣ: <http://www.omegaopen.com/od/od/od/86/>

ଓଡ଼ିଆ 21 ଓଡ଼ିଆ 2026 09:57:21 ଓଡ଼ିଆ